भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4846
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में अवसंरचनात्मक और मूलभूत सुविधाओं की कमी

4846. श्री संजय काका पाटील :

श्री मारगनी भरत :

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत :

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) द्वारा शुरू की जाने वाली, सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे जिला / अधीनस्थ न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना है जिनमें न्यायालय कक्ष, डिजिटल कम्प्यूटर कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली वाले पुस्तकालय, पेयजल के लिए जल शोधक, चिकित्सा सुविधाएं और महिलाओं के लिए पृथक शौचालय आदि जैसी बुनियादी अवसंरचना और सुविधाओं का अभाव है ;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत उन अधीनस्थ न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां उक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(घ) उक्त योजना के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत आबंटित, संस्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा विधिक कार्य को सुगम बनाने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्याय सुलभ बनाने के लिए, न्यायिक अवसंरचना में सुधार करने हेतु क्या कोई प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : तारीख 30.04.2022 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई और इसके बजाय राज्य स्तर पर न्यायिक अवसंरचना के लिए एक समिति बनाने पर सहमति हुई थी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अपने नामनिर्देशिती रखेंगे और निकट समन्वय में काम करेंगे । अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), 1993-94 से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई है और राज्य स्तरीय मानीटरी समिति, जिसमें उच्च न्यायालय और राज्य सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे, जो न्यायिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय प्रगति की मानीटरी करेंगे । यह योजना जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय निवास के निर्माण के लिए परियोजनाओं पर काम करती है और वर्ष 2021-22 के बाद से इस स्कीम में 3 नए घटक, अर्थात् वकीलों के हॉलों, शौचालय परिसरों तथा वकीलों और वादकारियों की सुविधा के लिए डिजिटल कंप्यूटर कक्षों का निर्माण, सम्मिलित किए गए हैं ।

(ख) और (ग) : राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 19,522 न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के विरुद्ध, 21,297 न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं । विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली, पुस्तकालयों, पीने के पानी के लिए जल शोधक, चिकित्सा सुविधाओं और महिलाओं के लिए अलग शौचालय आदि की राज्यवार उपलब्धता पर डाटा संकलित नहीं करता है । तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में इस विभाग के साथ साझा किया गया, 27% न्यायालय कक्षों में न्यायाधीश की डायस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ कंप्यूटर रखा गया है, 51% न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय हैं, 54% न्यायालय परिसरों में जलशोधन के साथ पेयजल की सुविधा है, 5% न्यायालय परिसर मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हैं और 74% न्यायालय परिसरों में अलग महिला शौचालय हैं । इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन, तारीख 31.03.2023 तक, कुल 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटर प्रदान किए गए हैं, 2976/2992 (99.4%) न्यायालय परिसरों को ई-न्यायालय वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) से जोड़ा गया है । डिजिटल कंप्यूटर वाले न्यायालयों का विस्तृत ब्यौरा **उपाबंध** में दिया गया है ।

(घ) और (ङ) : न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय निधियों की हिस्सेदारी निर्धारित अनुपात में जारी की गई है, जो, 8 एनईआर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश), जहां अनुपात 90:10 है और संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में, कोई राज्य हिस्सा शामिल नहीं है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 (केंद्रीय : राज्य) है । स्कीम के अधीन, 1993-94 में इसके प्रारंभ से अब तक,

9815.09 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की जा चुकी है, जिनमें से, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 805.69 करोड़ रुपए सहित 2014-15 से अब तक 6370.78 करोड़ रुपये (64.91%) जारी किए जा चुके हैं । आज तक इस स्कीम के अधीन 21,297 न्यायालय कक्ष और 18,752 आवासीय इकाइयां बनाकर उपलब्ध कराई गई हैं । वर्ष 2021 से, न्यायालय कक्षों और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के नए डिजिटल संघटक, वकीलों के हॉल और शौचालय परिसरों को उपरोक्त सीएसएस की परिधि के अधीन लाया गया है ।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां तभी जारी की जाती है, जब उनके परियोजना प्रस्ताव अनिवार्य रूप से सीपीडब्ल्यूडी/अक्षम व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यथा अधिकथित अक्षम अनुकूल मानदंडों/पहुंच मानकों का अनुपालन करते हैं । सीएसएस दिशा-निर्देशों के भागरूप में राज्यों से इस आशय का प्रमाणपत्र भी मांगा जाता है । इस स्कीम के अधीन राज्यों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की पर्याप्त स्वतंत्रता है, जिसमें वे सुविधाएं भी शामिल हैं, जो न्यायालयों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकती हैं ।

****

उपाबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 4846, जिसका उत्तर 31.03.2023 को दिया जाना है, न्यायालय परिसरों और न्यायालयों के उच्च न्यायालयों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र. सं.	**उच्च न्यायालय**	**राज्य**	न्यायालय परिसर	**न्यायालय**
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बंबई	दादरा और नगर हवेली	1	3
		दमन और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू - कश्मीर तथा लद्दाख	जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363

15	मद्रास	पुदुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	ओडिशा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	योग		**3452**	**18735**

****